

26/9/17

मूल्यांकन फॉर्म, माण्डलगढ़-941466491

ता. पेकी स्टेंड 15/11/18

20/2/18

9/4/18

19/6/18

पोर्टल 2017/00322

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नम्बर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारिख दायर 3	तारिख फैसला 4	फैसला क्रमांक 5
22 रजि प्रकरण	61/2017	19/7/17	11-6 18	

अनवान

श्री. मोहनसिंह पिठो नन्दसिंह श्री. श्रीभूसिंह पिठो नन्दसिंह राजस्थान

राजस्थान

निवासी. व्यामनिमा वर्गस (3) निवासी. व्यामनिमा

श्री. दिनेश नारायण

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

डिप्टीदार

रेस्पॉन्डेंट / मदयूनान

श्री. श्री.

26/9/2017 पत्रावली पेशा दुर्ग विपक्षी (सं. 1/42) के नोटीस बाद नामील अर्ज में मुद्दा लगे 21/10/17 को उभरे गये बाद एकोरिगन द्वारा अन्य कार्य में व्यस्त होने से कार्य से इनकार करने पर आर्कवादी नही लगे। पत्रावली का लगे आदेश आदेशा दिनांक 15/01/2018 को पेश हो

15/1/18 आवली प्रस्तुत हुई, अभि. वादी पतिवादी उपस्थित पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते आदेशा दिनांक 9/4/18 को पेश हो !

आज्ञा से
रीडर उपखण्ड अधिक
माण्डलगढ

9/4/18 पत्रावली प्रस्तुत हुई, अभि. वादी उपस्थित पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते आदेशा दिनांक 19/6/18 को पेश हो !

आज्ञा से
रीडर उपखण्ड अधिक
माण्डलगढ

11/6/18 पत्रावली नाम आर्कवादी द्वारा लगे, आर्कवादी पत्र पेश दुर्ग विपक्षीगारी के नोटीस बाद नामील अर्ज में मुद्दा लगे मुद्दे हैं। विपक्षीगारी का विपक्षी के द्वारा भी विपक्षी किया गया (विपक्षीगारी के अर्जकतः सुचना में दर्जित करने से उनके लिकेड्ड हकनाम के आदेशा उभरे गये हैं। कमील अर्जों के एडपक्षीय क हल दुनी, गड कमील अर्जों द्वारा दिनांक 19/07/2017 को जारी एघगान आदेशा के मूलकाद के सिद्धांत में बनाये रखने हेतु निवेदन किया गया कमील अर्जों का प्रार्थना पत्र अंतर्गत द्वारा 21/2/2018 को लगे गठल एकीकार किया जाकर दिनांक 19/07/2017 को जारी एघगान आदेशा के मूलकाद के सिद्धांत में बनाये रखने का आदेशा दिया जाता है। पत्रावली के लल अर्जों के लगे नया से कम लगे आ.पत्र मूलकाद के साथ लंगर लगे

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ